E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2022; 4(1): 386-388
Received: 02-02-2022
Accepted: 06-03-2022

अर्चना राय
छात्रा, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, ल०ना०मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
अर्चना राय
छात्रा, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, ल०ना०मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

भारत के आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं की सक्रियता

अर्चना राय

सारांश
भारत में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, महिलाओं की सहभागिता एवं योगदान को प्रतिबिंबित करता है। वर्तमान में शहरी महिलाओं के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता के कारण विकास व्याक रूप से प्रभावित हुआ है। भारत समाज एक कृषि प्रधान समाज है। इसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कृषि हस्तशिल्प से सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रय में महिलाओं ने परम्परागत रूप से सक्रिय योगदान दिया है। अधिकतर बाजार स्थानीय प्रवृति के थे या उन तक सरलता से पहुँचा जा सकता है। प्राचीन भारत में महिलाओं को आर्थिक जीवन में भाग लेने का जितना अवसर प्राप्त था वह मध्ययुगीन भारत में निरन्तर कम होता चला गया। नवीन मान्यताओं एवं निशेधों के कारण स्त्रियाँ जीवन में अपेक्षाकृत कम भाग लेने लगी है।

कूटशब्द : आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों, ग्रामीण महिलाओं की सक्रियता, कृषि

प्रस्तावना

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक पराधीनता

महिलाओं की स्थिति समाज में पुरूष और स्त्रियों के बीच कार्यों का विभाजन है और इस कारण महिलाओं का शोषण होता आ रहा है सामान्तः यह माना जाता है कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र पारिवारिक कार्यों तक ही केन्द्रित है तथा उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक उत्पादन कार्यों से अलग रहना चाहिए। मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति और पुरूषों के बराबर उनकी समानता तब तक संभव नही है जब तक महिलाओं को केवल घरों के कार्य जो कि निजी कार्य है तक केन्द्रित रखा जाये तथा उन्हें सामाजिक रूप से उत्पादक कार्यों में भाग लेने दिया जाये। महात्मा गांधी ने स्त्रियों की दयनिय स्थिति के सम्बन्ध में यह लिखा है कि स्त्रियों को केवल संतानोत्पत्ती करने, पति एवं बच्चों की देखभाल करने और गृहस्थ कार्य को पूर्ण रूप से सम्पादित करने का माध्यम माना जाता है। उसे घर की नौकरानी बना दिया गया है और जब वो घर से बाहर करने लिए जाती हैं तो उन्हें पुरूषों की तुलना में काफी कम मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार से सामाजिक न्याय और मानव अधिकार के अन्तर्गत महिलाओं को आर्थिक समस्या से मुक्त किया जाए जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाये।

विकास की व्यापक प्रक्रिया में सम्मिलित करना

महिलाओं के विकास में मानवीय संसाधन का पूर्ण एंव प्रभावशाली उपयोग किया जाये। जिससे विकास का पूर्ण लाभ मिल सके है जब महिलाओं को आर्थिक कार्यों से अलग न रखा जायें एवं

उन्हें विकास की व्यापक प्रक्रिया में शामिल किया जायें। महिलाओं के प्रति भेदभाव करना मानवीय मर्यादा, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के विरूद्ध है। यह भेद भाव महिलाओं को पुरूष के समान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने में अवरोधक है। साथ ही साथ इस रोक-टोक के कारण महिलाओं के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव नही हो पाता है। किसी भी आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख कार्य होता है, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों के मध्य समुचित परिमाणात्मक संतुलन बनाये रखना। यह तभी संभव है जब पुरुषों और स्त्रियों को समाज में स्वतंत्रता प्राप्त हो। स्त्रियों की समान सहभागिता केवल स्त्रियों के विकास की ही नही वरन् सम्पूर्ण देश के विकास की एक आवश्यक पूर्व भार्त है, कि मानवीय संसाधनों का विकास राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नितान्त आवश्यक है। यह कार्य तभी संभव है जब स्त्रियों को सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में समान रूप से भाग लेने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो।

आधुनिक समाज में जनसंख्या और सामाजिक परिवर्तन

समाज में जनसख्या और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में जो नवीन प्रवृतियां दृष्टिगोचर हो रही है, उसके अनुरूप परिवार और समाज में स्त्रियों की भूमिका को पुर्नपरिभाषित करने की आवश्यकता है। विवाह की आयु परिवार के आकार, नगरीकरण, जनसंख्या स्थानान्तरण, मूल्यवृद्धि, जीवन स्तर की उच्चता और निर्णय प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता इत्यादि परिवर्तन के ऐसे क्षेत्र हैं जो महिलाओं की भूमिका और उत्तरदायित्व में परिवर्तन की अपेक्षा करते है। सामाजिक संकटों में निवारण और सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाये रखने के लिए महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आवश्यक है। ऐसा न होने पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित न हो सकेगी। उपर्युक्त तीनों तर्कों के आधार पर इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है कि महिलाओं को आर्थिक जीवन में अपेक्षाकृत अधिक सहभागी बनाया जाये तथा उनकी स्थिति पुरूषों के समकक्ष हो जाये। समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की सहभागिता का विश्लेषण करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि परम्परागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का क्या स्थान रहा है। किसी भी जनसंख्या की सामाजिक परिस्थिति का सम्बन्ध उसके आर्थिक स्थान से अत्यन्त घनिष्ठ है। महिलाओं की आर्थिक परिस्थिति को समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है किन्तु इसका तात्पर्य यह नही है कि सभी प्रकार की विकास प्रक्रियाएं महिलाओं के आर्थिक स्तर को उन्नत करती है। महिलाओं का क्रियाकलाप उन सामाजिक अभिवृत्तियों और संस्थाओं के द्वारा प्रभावित होता है जो किसी काल विशेष एवं स्थान विशेष में किसी सामाजिक वैचारिकी की उपज होती है । विभिन्न प्रकार के आर्थिक विकास के स्तर में यह सामाजिक वैचारिकी भिन्न भिन्न होती है। उदाहरणार्थ विकास के एक विशिष्ट स्तर में काम करने की क्षमताए उच्च सामाजिक परिस्थिति का सूचक हो सकती है। विकास की दूसरी अवस्था में जब समाज असमान वर्गों में विभाजित हो जाता हैं। तब आराम काम के स्थान पर सामाजिक परिस्थिकी का सूचकांक बन जाता है। लैंगिक असमानता यद्यपि सामाजिक संरचना के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त है, किन्तु इसका जो स्वरूप आर्थिक जीवन में देखने को मिलता है वह अन्य क्षेत्रों में नहीं। मध्ययुगीन भारत में ब्रिटिश भासन की स्थापना के पश्चात समाज सामन्तवादी युग से औद्योगिक युग में प्रवेश करता है। उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। फैक्टरी उत्पादन के कार्यों में निरन्तर कम सहभागी होने लगी। जब तक वस्तुओं का उत्पादन हाथ से होता था, महिलाओं की सहभागिता इसमें अपेक्षाकृत अधिक थी, किन्तु जब उत्पादन मशीन के द्वारा फैक्ट्री में होने लगा तो महिलाओं के द्वारा अपने परम्परागत कार्यो को छोडकर फैक्ट्री में जाकर काम करना कठिन होने लगा। साथ ही साथ औद्योगिक समाज की उत्पादन प्रक्रिया विकसित और विशेषीकृत होती है तथा इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए इसका प्रशिक्षण सामाजिक मर्यादाओं और प्रतिबन्धों को तोडकर प्राप्त कर पाना कठिन था।

परिवार में केन्द्रित जिन उद्योगों में महिलाओं की संख्या पुरूषों से अधिक पाई जाती है, वे गन्ना उद्योग, सूत कातना, जूट की वस्तुएँ बनाना, काफी बनाना, रस्सी बनाना, रेशम के कीडे पालना, मक्खन, घी, जैम, जेली बनाना और तम्बाकू बनाना है। असंगठित क्षेत्र महिलाओं के लिए असुरक्षित क्षेत्र है, इसमें उन्हें अधिक परिश्रम किन्तु श्रम पुरस्कार एवं कम उत्पादन परन्तु लम्बी अवधि तक कार्य करना पडता है। किन्तु भारतीय असंगठित क्षेत्र के है। अध्ययन के आधार पर ज्ञात हुआ कि विकास कार्यक्रम भी ऐसी आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं जो कि असंगठित क्षेत्र के रोजगार के अवसरों को विस्तृत कर रहे है। उद्यमी का व्यक्तिगत लाभ भी इसी में है किन्तु वह उत्पादन का कार्य असंगठित क्षेत्र में करें क्योंकि इस क्षेत्र में कारखाना अधिनियम, श्रमिक अधिनियम इत्यादि कानूनों का हस्तक्षेप कम होता है तथा दूसरी ओर कम मजदूरी

ओर कम मजदूरी पर अधिक कार्य लेना संभव होता है। अध्ययन द्वारा यह विदित होता है कि महिला श्रम की आपूर्ति परिवार के आय के स्तर से नियोजित होती है न कि मजदूरी की दर से। चूँकि अधिकतर महिला कार्मिक परिवार की निम्न आय के स्थिति के कारण प्रवेश करती है इसलिए वे किसी भी प्रकार का कार्य और मजदूरी की कोई भी दर स्वीकार कर लेती है। असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करके सामाजिक न्याय और नीति निर्धारण के दृष्टिकोण से दो निष्कर्षों का प्रतिपादन किया है। जनसंख्या का उत्तरोत्तर बढता हुआ अंश सीमान्त रेखा पर निवास कर रहा है। असंगठित क्षेत्र में कम मजदूरी का श्रम उपलब्ध है इसलिए उद्यमी अपने अधिक से अधिक आर्थिक क्रिया कलापों को ऐसे में करना होगा। इनका परिणाम यह होगा कि इन महिला कार्मिकों को आर्थिक विकास की प्रक्रिया का कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह स्थिति न केवल महिलाओं की स्थिति के लिए घातक है वरन् आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी असंतुलित हो जायेगी।

निष्कर्ष

भारत के सामाजिक, आर्थिक विकास की वृहद् प्रक्रिया के संदर्भ में ग्रामीण महिला की स्थिति की विवेचना करते हुए ज्ञात होता है कि एक ओर तो सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मर्यादाओं तथा पुरूष प्रधान समाज एंव पितृ सत्तात्मक पारिवारिक संगठन के परिणाम स्वरूप महिलाओं की प्रतिबंधित आर्थिक सहभागिता को विस्तृत करने में सामाजिक, आर्थिक विकास ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम और महिला आरक्षण कार्यक्रम ने पर्याप्त मात्रा में योगदान दिया है। किन्तु दूसरी ओर महिला की आर्थिक भाक्ति एवं उनकी प्रभावशीलता का विस्तार चाहते है तो इसके लिए यह आव यक है कि पुरूष प्रधान समाज का नारी के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो। परिवार में महिलाओं के समाजीकरण एवं उसकी भूमिका के नवीन प्रतिमानों का विकास हो। यदि हम ऐसा करेगें तो सही मायनें मे ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती है, जिससे भारतीय ग्रामीण समाज भी शहरीय समाज की भांति आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा।

संदर्भ-सूची

1. चतुर्वेदी अंजना, 'महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास', राधा कमल मुखर्जी, चिन्तन परम्परा वर्ष 15 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर, 2013
2. सिंह, रंजनी रंजन, 'सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की वास्तविकताऐं', परिप्रेक्ष्य, न्यूपा, नई दिल्ली, वर्ष 14, अंक 1, 2007
3. पचैरी जे.पी. व बाला किरन, 'पर्वतीय महिलाओं में पर्यावरणीय ज्ञानः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन' राधा कमल मुखर्जी, चिन्तन परम्परा वर्ष 17 अंक 1, जनवरी-जून, 2015
4. भाग्यलक्ष्मी, जे. 'महिला अधिकारिताःबहुत कुछ करना शेष', योजना, वर्ष 48, अंक 5, अगस्त 2004
5. विलियम मैथ्यू, 'ग्रांड वूमेन एण्ड माइलेटीः द डेमोक्रेटिक फेमिली इन टॉकविल द रिव्यू पोलिटिकल साइंस विटर', द यूनिवर्सिटि ऑफ नोट्डे इण्डियाना, 1995।